न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान माजीद खान काजी बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 225/2024
निर्णय दिनांक ...09.06.2025

माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी जाति काजी निवासी ख्याली मौहल्ला वार्ड नं. 14 तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

—::निर्णय::—

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 143 तादादी 2.1244, हैक्ट, खसरा नं. 172 तादादी 4.2993 हैक्ट. कुल खसरे 02 कुल तादादी 6.4237 हैक्ट. में से 1/6 हिस्सा में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू में वादी का नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी की जगह माजीदखान पुत्र ईसाक गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 143 तादादी 2.1244, हैक्ट, खसरा नं. 172 तादादी 4.2993 हैक्ट. कुल खसरे 02 कुल तादादी 6.4237 हैक्ट. में वादी का नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्म्द ईशाक काजी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी व माजीदखान पुत्र ईसाक दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वकील वादी की ओर से वादी व मो. हारून पुत्र मो. ईशाक जाति काजी निवासी वार्ड नं. 14 ख्याली मौहल्ला तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य वादी पी.डब्लू. 01 का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे प आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम माजीदखान पुत्र ईसाक अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 143 तादादी 2.1244, हैक्ट, खसरा नं. 172 तादादी 4.2993 हैक्ट. कुल खसरे 02 कुल तादादी 6.4237 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **माजीदखान पुत्र ईसाक Delete** कर इसके स्थान पर **माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..09.06.25.. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)